न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **35 / 2016** अपील (राजस्व)

1. श्री हेमराज पिता स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती टांकु बाई पिता स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सीता बाई पिता स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कमला बाई पिता स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती केसरबाई पिता स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वालकी बेवा स्वर्गीय धन जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.) (मृत्यु होने से दिनांक 22.01.18 को नाम तर्क किया गया)
7. श्री हमेरा पिता स्वर्गीय गणेश जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्री डालचन्द पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री ओम प्रकाश पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कालीबाई पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती तुलसीबाई पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लीला बाई पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती पुष्पाबाई पिता स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती धन्नीबाई बेवा स्वर्गीय रूपलाल जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री बाबुलाल पिता स्वर्गीय मेघराज जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री जमनालाल पिता स्वर्गीय मेघराज जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती डालीबाई पिता स्वर्गीय मेघराज जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती गीता बेवा स्वर्गीय मेघराज जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती प्यारीबाई बेवा स्वर्गीय मेघराज जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती रतनीबाई पत्नि स्वर्गीय डालचन्द जी मेघवाल निवासी लियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती पुष्पा सालवी पत्नि श्री राजेश जी सालवी निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर (राज)
15. मृतक श्री दौलतराम पिता स्वर्गीय गणेश जी मेघवाल के बजायः—
    - 15/1 श्रीमती भागु बाई पत्नि स्व. श्री दौलतराम मेघवाल, निवासी बड़ी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
    - 15/2 श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. श्री दौलतराम मेघवाल पत्नि चुन्नीलाल मेघवाल, निवासी अर्पित कॉलोनी, बड़ी तहसील बड़गॉव जिला उदयपुर
    - 15/3 श्रीमती सुशीला पत्नि स्व. श्री किशनलाल जी मेघवाल निवासी बड़ी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
    - 15/4 श्री हरीश पिता स्व. श्री किशनलाल मेघवाल, निवासी बड़ी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
    - 15/5 श्री अर्जुन पिता स्व. श्री किशनलाल जी मेघवाल, निवासी बड़ी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
    - 15/6 सुश्री हेमा पुत्री स्व. श्री किशनलाल जी मेघवाल जरिये बविलायत माता श्रीमती सुशीला पत्नि किशनलाल जी मेघवाल, निवासी बड़ी तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
16. तहसीलदार बड़गॉव जिला उदयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 बनाराजगी निर्णय न्यायालय तहसीलदार गिर्वा बप्रकरण संख्या भ.अ./स.वि./2006/मिसल नम्बर—3806/71 दिनांक 07.02.2006

उपस्थित : 1. श्री कन्हैयालाल चौरड़िया, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, विपक्षी संख्या 2 से 12 एवं 14
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 21.03.18

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के बप्रकरण संख्या भ.अ./स.वि./2006/मिसल नम्बर—3806/71 दिनांक 07.02.2006 से दुखी होकर अपील प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपनी अपील में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मौजा बड़ी की आराजी संख्या 1075, 1080, 1081, 1082, 1083 स्थित होकर अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 05.02.06 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्टगण के परोक्ष में कानुन के खिलाफ विभाजन का निर्णय प्रदान कर दिया

गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनना चाहिये था। मृतक धनराज जी के बजाय फर्जी धनराज को खड़ा कर रेस्पोडेंट ने डिक्री करवा दी। हमेरा को बिना सुने फर्जी अंगुठा लगवा दिया। रेस्पोडेंट चुस्त एवं चालाक व्यक्ति है जिन्होने तहसीलदार के सामने बिना आईडेन्टिफिकेशन करवा निर्णय पारित करवा दिया गया। निर्णय की जानकारी हाल ही में रेस्पोडेंट जब अपीलान्टगण को उक्त भूमि से बेदखल करने आये तो नामान्तरकरण व बॅटवाड़े के निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा से निवेदन किया कि अपीलान्ट की अदम मौजुदगी में उक्त फर्जी निर्णय कैसे बनाया गया जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मैं उस समय अधिकारी नहीं था। उक्त सारा षड्यंत्र फर्जी तरीके से रेस्पोडेंट द्वारा किया गया। जिसकी शिकायत एस.पी. साहब को भी की गई। कोई कार्यवाही नहीं होने से माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 उदयपुर में दिनांक 30.05.16 को ईस्तगासा प्रस्तुत किया गया। जिसकी जॉच थानाधिकारी अम्बामाता द्वारा की जा रही हैं अपीलान्ट द्वारा वकील से कानुनी राय लेकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अपील प्रस्तुत करने में कोई जानबुझकर देरी या चुक नहीं की गई हैं।

बिना सुने किये गये निर्णय के खिलाफ अपील की कोई मियाद नहीं होती हैं। अपीलान्ट विधिक खातेदार काश्तकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय को सुना जाना चाहिये था। बिना सुने फर्जी व्यक्ति खड़ा कर अंगुठा हस्ताक्षर करा पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाकर पुनः अपीलान्ट की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की अदम मौजुदगी में निर्णय पारित किया गया हैं। जिसकी जानकारी होने पर वकील से राय लेकर अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई चुक या देरी नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद लिवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर संलग्न दस्तावेज फर्जी या गलत होने की कोई आशंका नहीं होने से पत्रावली पर रखे जाने की स्वीकृति भी प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनके द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति एवं अपील का जवाब एवं धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपनी प्रारम्भिक आपत्ति में निवेदन किया कि अपीलान्ट को कथित बॅटवारे की जानकारी बॅटवारे के दिन ही सन् 2006 में हो गई थी। अपील में निर्णय की जानकारी दिनांक 24.05.16 को होना बताया है जबकि उक्त दिनांक को कोई विभाजन नहीं हुआ। 2006 से ही विभाजन के अनुसार अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। डालचन्द ओमप्रकाश कालीबाई लीलाबाई पुष्पाबाई पिता रूपलाल जी, धन्नीबाई बेवा रूपलाल का 1/5 हिस्सा, धनजी, हमेरा, दौलतराम पिता गणेश जी का 3/5 हिस्सा एवं बाबुलाल, जमनालाल, गीता, डालीबाई पिता मेघराज जी, प्यारीबाई पत्नि मेघराज जी का 1/5 हिस्सा मानते हुए इन सबको मिलाकर इनके हिस्से में आराजी संख्या 1075मी. रकबा 0.1000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1083मी. रकबा 0.0350 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1350 हैक्टर भूमि हिस्से में आयी तथा पुष्पा पत्नि राजेश सालवी निवासी बोहरवाड़ी उदयपुर के हिस्से में आराजी संख्या 1075/1 रकबा 0.1400 हैक्टर, आराजी संख्या 1080 रकबा 0.0450 हैक्टर, आराजी संख्या 1081 रकबा 0.1100 हैक्टर, आराजी संख्या 1082 रकबा 0.0750 हैक्टर, आराजी संख्या 1083/1 रकबा 0.1150 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.4850 हैक्टर भूमि हिस्से में आयी तथा पुष्पा पत्नि राजेश जी सालवी ने बॅटवारा हो जाने के बाद उक्त जमीन के सम्बन्ध में डालचन्द पिता रूपलाल जी मेघवाल एवं मोहनलाल पिता उदयलाल मेघवाल के हक में विक्रय पत्र निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया तथा डालचन्द व मोहनलाल ने उक्त जमीन के संबंध में धारा 90 बी की कार्यवाही करा दी तथा राजस्व रेकार्ड में भी खातेदारी अधिकार सरेन्डर के आधार पर कथित जमीन नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम पर आबादी में दर्ज करवा दी गई। जिसके पट्टे भी जारी हो चुके हैं। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को हैं। भूमि आबादी में परीवर्तित हो जाने के पश्चात् अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा फर्जी कहकर अपील प्रस्तुत की हैं और उसको यह पता नहीं है कि फर्जी का क्या अर्थ होता हैं। अपीलान्ट के पुर्वाधिकारीयो के हस्ताक्षर मौजुद हैं। इस बॅटवारे में तो अपीलान्ट के हक में केवल 0.0800 हैक्टर भूमि ही आती हैं जबकि बॅटवारे में अपीलान्ट के हक में 0.1350 हैक्टर भूमि रखी गई है। जिसमें रेस्पोडेंट रूपलाल व मेघराज जी के वारीस भी मौजुद हैं। बॅटवारा हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका हैं। अपीलान्ट स्वयं यह स्वीकार करते है कि वक्त बॅटवारा

तहसील में उपस्थित थे। परन्तु अब ज्ञान हुआ कि फर्जी निर्णय बनाया गया। जबकि अपीलान्ट को बॅटवारे में अधिक जमीन मिली है एवं फायदा हुआ हैं। इसके उपरान्त भी विपक्षीगणो को जलील व परेशान करने के लिये 10 वर्ष बाद अपील व एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई। 90 बी की कार्यवाही में अखबार में आपत्तियॉ भी मांगी गई थी। परन्तु कोई आपत्ति नहीं की गई। इस मामले में मियाद कण्डोन नहीं की जा सकती हैं। कथित जमीन कृषि भूमि की नहीं रही। पुष्पाबाई के हिस्से में आयी भूमि आबादी हो चुकी हैं यदि नगर विकास प्रन्यास के पट्टो को कोई खारीज कराना चाहता है तो वह धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दीवानी न्यायालय में ही कार्यवाही करा सकता हैं। उसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकती हैं।

एक प्रारम्भिक आपत्ति में यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत लाई नहीं होकर भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ ही लाई होती हैं। कथित निर्णय प्रशासन गॉव की ओर केम्प में सभी पक्षकारान को सुचित कर किया गया। उस समय धनराज जीवित था। बॅटवाड़ा आपसी सहमती के आधार पर किया गया है जिसकी अपील नहीं की जा सकती हैं। बॅटवाड़े से अलग अलग खाते होकर मौके पर अलग अलग ही काबिज हैं। बॅटवाड़े के समय धनराज जी मौके पर उपस्थित थे जिनसे पुछकर ही बॅटवारा किया गया हैं। बॅटवारे के अनुसार भूमि का अलग अलग हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा कथित भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरीत होकर नगर विकास प्रन्यास में वेस्ट हो चुकी है जिसका दावा केवल सिविल न्यायालय में ही हो सकता हैं। कथित भूमि के संबंध में एक वाद भी सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) गिर्वा उदयपुर के यहॉ चल रहा हैं। जहॉ से निषेधाज्ञा भी आराजी संख्या 1075 व 1083 के संबंध में जारी हैं।

बॅटवारे में अपीलान्ट के हक से अधिक जमीन आयी है इस कारण वह हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट तो धनराज जी के लड़के हैं तथा धनराज जी के बॅटवारे के समय मौजुद थे। उनको पुछकर बॅटवारा किया गया। प्रकरण से संबंधित पुष्पा सालवी का कयशुदा रकबा 0.5400 हैक्टर था के मुकाबले बॅटवारे में 0.4850 हैक्टर ही आयी। अतः पुष्पा सालवी को 0.0550 हैक्टर भूमि बॅटवारे में कम प्राप्त हुई फिर भी पुष्पा सालवी संतुष्ट थी तथा बॅटवारे में अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण के संयुक्त खाते में बॅटवारे में 8 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिये थी जबकि उन्हे 0.1350 हैक्टर जमीन प्राप्त हुई जो उनके हिस्से से बहुत ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण एग्रीव्ड पक्षकार नहीं है तथा उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने से यह अपील काबिल निरस्त के हैं। जब केम्प

में सभी पक्षकार उपस्थित थे तो उनके वारीसानो को नोटिस देने का कोई कारण नहीं रहता हैं। धनराज स्वयं तहसील में नौकरी करता था। वह स्वयं एक्सपर्ट था। विवादग्रस्त जमीन के अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण सहखातेदार काश्तकार थे। जमीन का बॅटवारा अपीलान्टगण, रेस्पोडेंटगण व पुष्पा सालवी के मध्य हुआ हैं। शेष सभी अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण के नाम आज भी जमीन सहखातेदारो के रूप में दर्ज हैं। जहॉ तक एफ एस एल रिपोर्ट की बात है तो फोटो स्टेट प्रति से एफ एस एल नहीं करवायी जा सकती हैं। अपीलान्ट का यह आरोप भी गलत है कि रेस्पोडेंट द्वारा भूमि हड़पने का दुष्कृत्य किया जा रहा हैं। भूमि में अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण का हिस्सा ही शामिल है तो रेस्पोडेंटगण द्वारा अलग भूमि का कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण खारीज किये जाने हेतु ईस्तदुआ की गई।

प्रकरण में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जादी. का प्रस्तुत कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेजातो की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत कर पत्रावली पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्रो के साथ में प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजो, दिये गये जवाबो, किये गये कथनो के परीक्षण के उपरान्त न्यायालय का मत है कि दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होकर मुल पत्रो की छायाप्रतियॉ है जो संदिग्ध नहीं हैं। प्रकरण से संबंधित हैं। अतः दोनो पक्षो के प्रार्थनापत्रो को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजो को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्टगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली की गई। अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा बड़ी की आराजी संख्या 1075, 1080 से 1083 अपीलान्ट की सहखातेदारी से दर्ज हैं। इस भूमि के संबंध में कोई फर्जी दस्तावेज दिनांक 07.02.2006 का उपतहसीलदार गिर्वा उदयपुर के नाम का बनाया जाना पटवारी हल्का के यहॉ से बॅटवाड़े की नकल लिये जाने पर अपीलान्ट को ज्ञात हुआ। उक्त सारा फर्जी कार्य रेस्पोडेंट डालचन्द जो कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग गुलाबबाग उदयपुर में उस समय कार्यरत था जिसकी उपस्थिति पी.डब्ल्यू.डी. विभाग उदयपुर में दिनांक 07.02.06 को दर्ज हैं। क्योंकि उसी दिनांक को डालचन्द ग्राम बड़ी तहसील गिर्वा उदयपुर में फर्जी दस्तावेज की तस्दीक में उपस्थित था और उसी दिनांक को कार्यालय में भी उपस्थित था जिससे प्रथम दृष्ट्या साबित है कि उक्त फर्जी बॅटवाड़नामा रेस्पोडेंट डालचन्द ने अपने अनुभवो का लाभ प्राप्त कर पटवारी आदि सरकारी मशीनरी से मिलकर फर्जी विभाजन पत्र बनवा लिया। उक्त बॅटवाड़नामे में फर्जी हमेराजी को खड़े कर अंगुठा

निशानी लगवायी गई है जिसकी जॉच ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फिंगर प्रिन्ट भरेउ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से साबित होता हैं की अपीलान्ट हमेरा जी का बॅटवाड़ेनामे में फर्जी अंगुठा लगाकर विभाजन पत्र बनाया गया। न्यायालय तहसीलदार गिर्वा से विभाजन की असली पत्रावली तलब की गई तो असली पत्रावली तहसीलदार गिर्वा उदयपुर से गायब हैं। तहसीलदार गिर्वा द्वारा इस संबंध में प्रथम सूचना थाना भुपालपुरा में दर्ज करायी गई हैं। यानिकी रेस्पोडेंट डालचन्द ने अपने प्रभाव व धन के आधार पर पत्रावली को थाने में दबा रखी हैं। अपीलान्ट द्वारा एक प्रथम सूचना माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर में पेश की गई जिसकी जॉच थाना अम्बामाता उदयपुर में धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत दर्ज करवायी गई है जिसे भी डालचन्द ने अपने धन के बल पर कार्यवाही नहीं करने हेतु पत्रावली दबवा रखी हैं। जिसकी शिकायत भी एस.पी. साहब को कर दी गई हैं। फर्जी विभाजन दिनांक 07.02. 06 से पूर्व भी डालचन्द द्वारा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में दिनांक 22.07.05 को एक फर्जी विभाजन पत्र तैयार कर पेश किया जहॉ पर भी फर्जी दस्तावेज पत्रावली से गायब हैं। यह सारा दुष्ट कृत्य रेस्पोडेंट डालचन्द द्वारा किया गया हैं। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की मूल पत्रावली में अग्रीम रूप से फर्जी दस्तावेज बनाकर पेश किये गये है जबकि उक्त भूमि का कोई विभाजन पत्र नहीं बनाया गया नाही विभाजन का कोई आदेश हुआ। यानिकी रेस्पोडेंट डालचन्द द्वारा भ्रष्ट तरीके से फर्जी विभाजन पत्र बनाकर पुरी भूमि को हड़पने का दुस्साहस किया है जबकि किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया गया हैं। डालचन्द द्वारा मुल पत्रावलीयॉ भी गायब करवा ली गई हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर भूमि पूर्ववत किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाये जाने से उसके विरूद्ध 467, 468, 420, 471, 472, 120बी भा.द.सं. के तहत कार्यवाही फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अपनी बहस की ताईद में आर बी जे 2014(एस.सी.) पेज 472 एवं आर बी जे 2008 (एचसी.) पेज 331 की नजीरे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फिंगर प्रिन्ट भरेउ, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट की छायाप्रति एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड गिर्वा की अटेन्डेन्स रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा वक्त बहस अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत करते हुए विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए अपने तर्को में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह जानते हुए भी कि वादग्रस्त भूमि 80 प्रतिशत आबादी की है जो फार्म हाउस

के लिये कन्वर्टशुदा हैं। जिसकी यूआईटी द्वारा लीज डीड भी जारी कर दी हैं एवं वर्तमान में युआईटी के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योकि विवादग्रस्त जमीन 0.6200 हैक्टर थी जिसका खातेदार गणेश पिता भेरा जी मेघवाल था। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही 0.5400 हैक्टर जमीन गेहरीलाल मोची को विक्रय कर दी। जिसके द्वारा बाद में इस भूमि का विक्रय पुष्पा सालवी को कर दिया। इस भूमि का बॅटवाड़ा पुष्पा सालवी के समय में हुआ। पुष्पा सालवी के हिस्से में 0.5400 हैक्टर जमीन रखी जानी चाहिये थी जबकि बॅटवाड़े में पुष्पा सालवी के हक में 0.4850 हैक्टर जमीन रखी गई थी। अपीलान्ट तथा पुष्पा सालवी के अलावा बकाया रेस्पोडेंट के हक में संयुक्त रूप से 0.1350 हैक्टर जमीन रखी गई थी। जबकि अपीलान्ट व पुष्पा सालवी के अलावा बकाया रेस्पोडेंट के हक में संयुक्त रूप से 0.0800 हैक्टर जमीन ही रहनी चाहिये थी। इस कारण अपीलान्ट के हक में बॅटवाड़े में अधिक जमीन रखी गई थी। जिस कारण अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं। पत्रावली तहसील कार्यालय गिर्वा से गुमी हैं। जिसकी एफ.आई.आर. तहसीलदार गिर्वा द्वारा दर्ज करवा दी गई हैं। जिसमें रेस्पोडेंट का कोई संबंध नहीं हैं। बॅटवाड़े की पत्रावली की ज्यादा जानकारी धनराज व हमेरा को ही थी। क्योंकि धनराज तहसील में काम करता था व धनराज व हमेरा दोनो साथ रहते थे। बॅटवाड़े में हमेरा मेघवाल ने अपने अंगुठे की निशानी खातेदारों पटवारी व तहसीलदार के सामने की थी। जिसे 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया हैं तथा इस बॅटवाड़े की पालना भी सन् 2006 में ही हो चुकी थी व पुष्पा का खाता बॅटवाड़े के अनुसार अलग हो गया था तथा गणेश के वारीसान का खाता बॅटवाड़े के अनुसार अलग हो गया था। इसकी जानकारी हमेरा को 2006 में ही थी। परन्तु बॅटवाड़े में अपीलान्ट के हक में अधिक जमीन आने से उन्हे दस वर्षो तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। बॅटवाड़े में पुष्पा सालवी के हिस्से में जो भूमि आयी उसका उसके द्वारा मोहनलाल व डालचन्द के हक में विक्रय कर दी। जिनके द्वारा सन् 2007 में ही धारा 90बी की कार्यवाही करा भूमि को रूपान्तरण करवा दिय गया। उस दौरान भी अखबारो में आम सूचना प्रकाशित कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई। परन्तु किसी भी खातेदार की आपत्ति नहीं आयी। यूआईटी द्वारा लीज डीड भी जारी कर उसका पंजीयन करवा दिया गया। कन्वर्शन बाद डालचन्द व मोहनलाल द्वारा इस भूमि को प्रदीप हेड़ा व रतनीबाई के हक में विक्रय कर दी गई। जो फर्दन आगे विक्रय होती रही। उस पर मकान भी बन गये। मकान भी 2008 में बन गये। स्वयं अपीलान्ट हमेशा से देख रहे हैं। उसके उपरान्त भी इनके द्वारा किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। जब मुल बॅटवाड़नामा ही नहीं

मिल रहा है तो फोटोकॉपी से तो एफएसएल नहीं हो सकती हैं। अगर फोटोस्टेट से एफएसएल की गई है तो वह नल एण्ड वोईड हैं। कानुनन ऐसे दस्तावेज को नहीं देखा जा सकता हैं। प्रस्तुत दस्तावेज पब्लिक डॉक्युमेंट नहीं हैं। इनके फर्जी तैयार किये जाने की पूर्ण सम्भावना हैं। मुल दस्तावेज के अभाव में उनकी छायाप्रतियों को पत्रावली पर नहीं लिया जा सकता हैं। जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह अपीलान्ट के पुर्ण ज्ञान में हैं। क्योंकि बॅटवाड़े में पुष्पा सालवी के हक में जो जमीन आयी उसके चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई हैं। जहॉ तक अपीलान्ट का यह कथन कि मृतक धनराज की बजाय फर्जी व्यक्ति के बॅटवार नामे में अंगुठा निशानी लगाई गई है वह हमेरा की जगह भी अन्य व्यक्ति की अंगुठा लगायी हैं। जिसकी प्राथमिकता भी अपीलार्थी द्वारा थाना अम्बामाता में दर्ज करायी गई। थानाधिकारी अम्बामाता द्वारा बाद अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्यो से मामला एफ.आर. अदम वकुवा झूठा पाया जाने से एफ. आर. नम्बर 156/17 दिनांक 30.11.17 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। एफ.आर. की छायाप्रति वक्त बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली हैं। सहमति बॅटवाड़े से म्युटेशन नियमानुसार किया गया है जिसके विरूद्ध आज दिनांक तक कोई अपील नहीं की गई हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज योग्य हैं जिसे खारीज फरमायी जावें। अपने कथनो की ताईद में 2016 (1) सीटी (राज.) पेज 301, 2013 (2) सीटी (राज.) पेज 825, आरबीजे 2010 पेज 289, आर आर टी 2013 (2) पेज 887, आर बी जे 2014 पेज 623, आर आर टी 2007 (2) पेज 939, आर आर डी 1995 पेज 64, आर आर डी 1993 पेज 388, आर बी जे (21) 2014 पेज 388, आर बी जे (20) 2013 पेज 197, आर बी जे (18) 2011 पेज 643, आर बी जे (18) 2011 पेज 510, आर बी जे (21) 2014 पेज 97, आर बी जे (19) 2012 पेज 284, आर बी जे (16) 2009 पेज 279, आर बी जे (2) 1995 पेज 8, आर आर टी 2006 (1) पेज 531, आर बी जे (9) 2002 पेज 163, ए.आई. आर. (एस.सी.) 2003 पेज 1989, ए.आई.आर. (एस.सी.) 2003 पेज 1999 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर भी दोनो पक्षकारो को सुना गया। सुनने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित हैं। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जो तहसीलदार गिर्वा द्वारा पटवारी हल्का बड़ी को लिखा गया पत्र जिसका क्रमांक भू.अ.

/स.वि./2006/मि.नं. 38/06/71 दिनांक 07.02.06 से प्रमाणित बॅटवाड़े की प्रति प्रेषित की गई जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु लिखा गया। इस पत्र में जमाबन्दी वर्ष 2060 से 2063 के खाता संख्या 99 द्वारा सहखातेदारो के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा होना बताया गया हैं। इस पत्र से यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 07.02.06 को जो बंटवाड़ा हुआ वह खातेदारो की आपसी सहमति से हुआ था जिसे खातेदारो द्वारा प्रस्तुत बॅटवाड़े को तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। आपसी बंटवाड़े नक्शा ट्रेस व पत्र की छायाप्रति संलग्न पत्रावली हैं। संलग्न पत्रावली दस्तावेज मुल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 की भी संलग्न हैं जिसमें खाता संख्या 99 में मूल खातेदार गेहरीलाल पिता गंगाराम मोची के 5400/6200 हिस्सा एवं गणेश पिता भेरा बलाई के 800/6200 हिस्सा दर्ज हैं। वक्त बहस विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा यह निवेदन किया कि मूल खातेदार गणेश पिता भेरा जी मेघवाल थे जिनके द्वारा अपने जितेजी उक्त जमीन में से 0.5400 हैक्टर भूमि गेहरीलाल पिता गंगाराम मोची को विक्रय कर दी थी। जो उक्त संलग्न जमाबन्दी में खाता संख्या 99 में दर्ज हैं। गेहरीलाल पिता गंगाराम मोची द्वारा अपने हिस्से की 0.5400 हैक्टर भूमि का विक्रय श्रीमती पुष्पा पत्नि राजेश सालवी को किया गया जिसका राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण 703 दिनांक 20.09.04 खोला जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। जो भी उक्त जमाबन्दी में नोट से दर्ज हैं। शेष भूमि गणेश पिता भेरा के वारीसानो के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हैं। संलग्न फर्द बॅटवाड़े में भी क्रेता श्रीमती पुष्पा सालवी पत्नि श्री राजेश सालवी का अलग से बॅटवाड़ा कर शेष भूमि गणेश पिता भेरा मेघवाल के सभी वारीसानो के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज हैं। फर्द बॅटवाड़ा एवं संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से भी यह जाहीर होता है कि बॅटवाड़े में पुष्पा सालवी द्वारा क्रय भूमि से उसके हिस्से में कम भूमि दर्ज हुई है एवं गणेश पिता भेरा मेघवाल के समस्त वारीसानो के हिस्से में आयी भूमि से अधिक भूमि फर्द बॅटवाड़े में दर्ज हैं। परन्तु यह बॅटवाड़ा आपसी सहमति से होने से न्यायालय द्वारा इस बॅटवाड़े में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा हैं। नाही अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई रिलीफ ही मांगी गई हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि जो बॅटवाड़ा प्रस्तुत किया गया है वह बॅटवाड़ा रेस्पोडेंट संख्या 1 डालचन्द द्वारा अपीलान्टगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देकर मनमकसूद विभाजन का निर्णय पारित करवाकर अपीलान्टगण की भूमि हड़पने का दुष्कृत्य किया हैं। रेस्पोडेंट द्वारा बॅटवाड़े का षड्यंत्र फर्जी तरीके से अपीलार्थी को धोखे में रखकर किया गया हैं। परन्तु संलग्न पत्रावली अपील फर्द बॅटवाड़े को देखने से जाहीर होता है कि जो बॅटवाड़ा हुआ है उसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 12 तक

की भूमि सहखातेदार से संयुक्त रूप से दर्ज हैं। इनका आपसी विभाजन नही हुआ हैं। हम अधिवक्ता रेस्पोडेंट के इस कथन से सहमत है कि जब क्रेता पुष्पा सालवी द्वारा बॅटवाड़े से अपने हिस्से की भूमि का खाता अलग करवा आगे और विक्रय कर दी थी जिनके द्वारा सन् 2007 से इस भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया । तथा क्रेताओ द्वारा इस भूमि पर निर्माण कार्य करवाया। एवं अन्य लोग मकान बना इस भूमि पर 2008 से ही निवास कर रहे हैं। तो इनके द्वारा उस समय आक्षेप क्यो नहीं किया। आज बॅटवाड़ा सन् 2006 में हुआ एवं अपील 2016 में की जा रही है जबकि इस दर्मियान पुष्पा सालवी के हिस्से की भूमि का संपरिवर्तन भी हो चुका हैं। बॅटवाड़ा आपसी सहमती से हुआ हैं। जहॉ तक अपीलार्थी का यह कथन कि धनराज जी के बजाय अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी हस्ताक्षर करवाये गये थे हमेरा की जगह अन्य व्यक्तियो को खड़ा कर फर्जी अंगुठा लगवाकर रेस्पोडेंट से फर्जी व्यक्ति खड़ा कर विभाजन पत्र तैयार करवाया गया हैं। इस संबंध में जो फौजदारी कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की गई है जिसमें ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फिंगर प्रिन्ट भरेउ, राजस्थान, जयपुर से अंगुठे की जॉच रिपोर्ट भी प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से एक प्रथम सूचना माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, उदयपुर में पेश की गई जिसकी जॉच थाना अम्बामाता, उदयपुर में धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उक्त प्रकरण भेजा गया जहॉ प्रथम सूचना संख्या 210/16 दर्ज की गई हैं। पुलिस अनुसंधान से ही यह ज्ञात हो सकता है कि फर्द बॅटवाड़े पर धनराज के सही हस्ताक्षर है या नहीं। हमेरा पिता गणेश का अंगुठा निशानी है अथवा नहीं। उक्त सारी कार्यवाही पुलिस अनुसंधान के पश्चात् सक्षम न्यायालय ही तय कर सकती हैं। अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी अम्बामाता द्वारा भी इस प्रकरण में बाद अनुसंधान एफ.आर. संख्या 156/17 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हैं। जहॉ तक इस न्यायालय का प्रश्न है संलग्न पत्रावली प्रस्तुत फर्द बॅटवाड़ा जो कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रमाणित है जिसे न्यायालय द्वारा संदेह से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा इस फर्द बॅटवाड़े को प्रमाणित किया हुआ हैं। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय से भी इस्तदुआ की गई है कि न्यायालय द्वारा भी धारा 467, 468, 420, 471, 472 व 120बी भा.दं.सं. के तहत कार्यवाही फरमायी जावें। हमारा मानना है कि अपीलान्ट का उक्त अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं हैं। चुंकी अपीलांट द्वारा पूर्व में ही उक्त कार्यवाही सिविल न्यायालय से करा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं। जहॉ तक अपीलान्ट का यह कथन की उक्त दिनांक को रेस्पोडेंट संख्या 1 डालचन्द उसके कार्यालय में भी उपस्थित था एवं फर्द बॅटवाड़ा प्रस्तुत करते समय मौके पर भी उपस्थित था। उक्त बिन्दु पर इस

न्यायालय द्वारा कोई विवेचना की जाना न्यायोचित नहीं हैं। क्योंकि उक्त कार्यवाही संबंधित कार्मिक के विभागीय स्तर की होकर उसके अधिकारी द्वारा ही आवश्यक जॉच कर कार्यवाही की जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि सहखातेदारो द्वारा करवाया गया बॅटवाड़ा आपसी सहमति से हुआ है जिसका प्रमाणिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हैं। अपील मेमो में अपीलान्टगण द्वारा किये गये कथन कि रेस्पोडेंट डालचन्द द्वारा फर्जी बॅटवाड़ेनामे के आधार पर बॅटवाड़ा करवा भूमि हड़पने हेतु दुष्कृत्य किया गया है जो साबित नहीं होता हैं।

अतः अपीलार्थी की अपील साबित नहीं होने से खारीज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर